निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 577) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(सिवान)–11–13/2009/1050—श्री फखरे आलम (आई0 डी0 2061), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–3, मधुबनी शिविर–पडरौना सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त पद पर पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में बरती गई अनियमितता के निम्नांकित आरोपों की जाँच के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 795 दिनांक 09.07.13 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः–

(i) एजेण्डा सं0 ए0 (5)/27 के तहत प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्य में संशोधन के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त पुनरीक्षण के उपरान्त बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किये ही पूरक एकरारनामा कर कार्य कराया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है एवं संवेदक के विशेष हित में कार्य करना प्रमाणित करता है।

(ii) एजेण्डा सं0 ए0 (5)/27 के तहत कराये गये बोल्डर क्रेटिंग कार्य के वायड (void) की जाँच हेतु दिये गये निदेश के बावजूद अपूर्ण जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ही पूर्ण भुगतान कर देना।

(iii) एजेण्डा सं0 ए0 (8) के तहत एकरारनामा के अनुसार एकरारित समय सीमा के बाद भी बाढ़, 2009 के पूर्व तक कार्य समाप्त नहीं किये जाने के बावजूद संवेदक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर दिनांक 31.03.10 तक समय वृद्धि की अनुशंसा करना।

(iv) प्रमण्डलीय कार्यायल में एम0 बी0 मूवमेंट पंजी संधारण सही तरीके से नहीं करना।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 463 दिनांक 16.02.15 द्वारा श्री आलम से निम्नांकित बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गईः–

(i) श्री आलम द्वारा समर्पित बचाव बयान के साथ पूरक एकरारनामा से संबंधित कोई अनुमोदित परिमाण विपत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे प्रमाणित हो सके कि नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति के पश्चात पूरक एकरारनामा किया गया है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए साक्ष्य के अभाव में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त किये ही पूरक एकरारनामा कर कार्य कराने का आरोप प्रमाणित होता है।

(ii) गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के साथ voids के आकलन हेतु की गयी गणना से संबंधित कोई विवरणी संलग्न नहीं है। गुण नियंत्रण जाँच पदाधिकारी द्वारा मात्र इस तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि '' Approximately 20% voids have been found. '' अतः सिंचाई गवेषण संस्थान, खगौल से प्राप्त गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन को पूर्ण प्रतिवेदन नहीं माना जा सकता है, लेकिन मापपुस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि 20% voids काटकर भुगतान किया गया है। अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए आरोप सं0 2 voids से संबंधित अपूर्ण जाँच के आधार पर पूर्ण भुगतान किये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

(iii) इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य विभागीय कार्यवाही के दरम्यान प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे परिलक्षित हो सके कि प्रमण्डल में एम0 बी0 पंजी का संधारण सही तरह से की गई है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए साक्ष्य के अभाव में आरोप सं0 4 को प्रमाणित माना गया है।

उक्त के आलोक में श्री आलम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री आलम को बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0 3, मधुबनी में कटाव निरोधक कार्य में संशोधन के उपरान्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर बिना सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त किए पूरक एकरारनामा कर कार्य कराने, बोल्डर क्रेटिंग कार्य के void की जाँच हेतु दिए गए निदेश के बावजूद अपूर्ण जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान करने, संवेदक द्वारा एकरारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं करने पर भी उसके विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने एवं प्रमण्डलीय कार्यालय में एम0 बी0 मूवमेन्ट पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 220 दिनांक 03.02.16 द्वारा श्री आलम को ''पेंशन से 10% की कटौती एक वर्ष के लिए'' का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री आलम द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया हैः–

(i) उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा विषयांकित जाँच में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई।

(ii) वे दिनांक 30.04.13 को सेवानिवृत हो चुके हैं, इसलिए सेवानिवृति के पश्चात दिनांक 09.07.13 को प्रपत्र 'क' का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 20233 दिनांक 08.11.78 का उल्लंघन है।

(iii) आरोप प्रक्रियात्मक त्रुटि से संबंधित है, वित्तीय अनियमितता से नहीं।

(iv) बोल्डर क्रेट्स में लगभग 20% voids पाए गए थे। उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन के अनुरूप voids हेतु 20% की कटौती करते हुए भुगतान किया गया है जिससे सरकार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई। M.B. के Movement Register का संधारण नहीं होने से वित्तीय क्षति नहीं हुई है।

उक्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई, जिसमें पाया गया किः–

(क) उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किए बगैर पूरक एकरारनामा पर कार्य कराया गया। इस प्रकार श्री आलम ने अपने पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया। पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना चाहिए था। इसलिए श्री आलम के पुनर्विलोकन अर्जी की कंडिका (i) स्वीकार योग्य नहीं है।

(ख) आरोप वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 से संबंधित है। श्री आलम दिनांक 30.04.13 को सेवानिवृत हुए हैं तथा प्रपत्र 'क' का गठन दिनांक 09.07.13 को किया गया है, जो घटना की तिथि से चार वर्ष से अधिक नहीं है। इस प्रकार प्रपत्र 'क' का गठन एवं विभागीय कार्यवाही का संचालन विधि सम्मत है। गठित प्रपत्र 'क' में आरोप प्रमाणित है। अतः इनके पुनर्विलोकन अर्जी की कंडिका (ii) भी स्वीकार योग्य नहीं है।

(ग) श्री आलम ने अपने पुनर्विचार आवेदन में स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है। पूरे मामले की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि एकरारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं कराने पर संवेदक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया। अतः पुनर्विचार आवेदन की कंडिका (iii) भी स्वीकार योग्य नहीं है।

(घ) एजेण्डा सं0 ए0 (5)/27 के तहत कराए गए बोल्डर क्रेटिंग कार्य के void की जाँच हेतु दिये गए निदेश के बावजूद बिना जाँच कराए ही पूर्ण भुगतान कर दिया गया। अगर void की जाँच कराई गई होती तो हो सकता है कि संवेदक के विपत्र से 20% से अधिक कटौती की जाती। इसलिए श्री आलम के पुनर्विचार आवेदन की कंडिका (iv) भी स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित स्थिति में श्री आलम के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में अधिरोपित निम्न दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

''पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए''

उक्त निर्णय श्री फखरे आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–3, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 577-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in